Haryana Police (हरियाणा पुलिस)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 03/06/2025 16:52 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): 03/06/2025 Date To (दिनांक तक): 03/06/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 Time From (समय से): 13:30 hrs Time To (समय तक): 13:30 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/06/2025 Time (समय): 16:15 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 03/06/2025 16:27 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 80 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): रोहतक बाईपास पुल GT,ROAD पानीपत

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुरेन्द्र सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री हुक्मचन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Scanned with OKEN Scanner

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	वार्ड न 3 मास्टर कालोनी खनौरी, मण्डी तह मुनक जिला सगरुरSANGRUR, PUNJAB, INDIA
2	Permanent Address	वार्ड न 3 मास्टर कालोनी खनौरी, मण्डी तह मुनक जिला सगरुरSANGRUR, PUNJAB, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9023491002

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ASI नरेश कुमार			1. थाना कुण्डली जिला सोनीपत, SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, इस्पैक्टर विजिलैन्स करनाल श्री मान जी, निवेदन है कि मै सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हुक्मचन्द निवासी वार्ड न 3 मास्टर कालोनी खनौरी मण्डी तह. मुनक जिला सगरुर पंजाब का रहने वाला हुं । और ट्रक खरीदने व बेचने का काम करता हुँ। मैने एक ट्रक न. HR 46E 4908 जयदीप पुत्र श्री धर्मवीर सिंह वासी समचाना जिला रोहतक से खरीद किया था जिसका जयदीप से खरीदने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी लिया गया था लेकिन ट्रक न. HR 46E 4908 के सम्बन्ध में जयदीप के साथी देवव्रत पुत्र नफे सिंह वासी ज्ञान नगर सोनीपत ने मु. न. 772 दिनांक 2.12.24 धारा 316(2)

Scanned with OKEN Scanner

318(4) बी0एन0एस0 थाना कुण्डली जिला सोनीपत में दर्ज करवा रखा था जिसकी तफतीश ASI नरेश कुमार द्वारा की गई थी। जिसने मुकदमा में बिना किसी ठोस सबूत के व मेरा पक्ष जाने बिना मुझे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले में व मेरा दोस्त राझाराम श्री मेवाराम वासी गांव शाहपुर थेकडी तह मुनक जिला संगरुर पंजाब। आई ओ ASI नरेश कुमार से मिले थे अब में माननीय अदालत से जमानत पर रिहा हुँ। और मैने उपरोक्त ट्रक का सुपरदारी पर देने से पहले मेरा पक्ष रखने बारे एक दरखास्त माननीय अदालत में दी हुई है जो अभी विचारअधीन है जिस पर ASI नरेश कुमार ने मेरे दोस्त राझाराम को फोन करके बोला की तेरे सुरेन्द्र सिंह ने ट्रक की सुपरदारी के सम्बन्ध में जो दरखास्त दी हुई है मैं उस में भी तुम्हारी मदद करूंगा और मुकदमें में मेरी गवाही भी होनी है मैं दोनो बात तेरे दोस्त सुरेन्द्र के पक्ष में कह दूंगा जिसके लिए आप मुझे रिश्वत के तौर पर 20000/- (बीस हजार) रुपये देने होगे जो में व मेरा दोस्त ASI नरेश कुमार को रिश्वत राशी नही देना चाहते और पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहते है मैने व मेरे दोस्त ने ASI नरेश कुमार द्वारा रिश्वत मांगने बारे रिकोर्डिंग भी की हुई है जो मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा आज हमें ASI नरेश कुमार नें रिश्वत राशी लेकर बुलाया हुआ है अत ASI नरेश कुमार के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए

हस्ता अंग्रेजी Surender 9023491002

कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक मय नि0 बिजेन्द्र न0 270/KR मय साथी कर्मचारी मय गाडी सरकारी न0 HR 03GV-1916 जिसका चालक ASI संजय कुमार न0 685/पानीपत व गाडी सरकारी न0 HR 03GV-4723 जिसका चालक HC बलकार न0 25/पानीपत के खुफिया डियुटी के नजदीक नया बस स्टेंड पानीपत हुँ की पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यू करनाल मण्डल करनाल से बजरिया फोन सूचना प्राप्त हुई की सुरेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति से फोन पर सम्पर्क करो। जिसपर मन नि0 ने फोन पर सम्पर्क किया और कहा की आप रोहतक बाईपास पुल के निचे GT.ROAD PANIPAT पर मिलों। कुछ समय बाद सुरेन्द्र सिंह ने मन नि0 को मुलाकी होकर एक लिखित दरखास्त बर खिलाफ ASI नरेश कुमार थाना कुण्डली जिला सोनीपत बाबत गाडी की सुपरदारी व सुरेन्द्र के पक्ष में गवाही देने की एवज में 20000/- रुपये रिश्वत मांगने मन नि0 को पेश की। जिसपर मन नि0 द्वारा उच्च अधिकारीयों से हालात रेड से अवगत करवाकर रेड कार्यवाही के लिए राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह को नियुक्त करने बारे अग्रह किया। जो उच्च अधिकारी द्वारा श्री अनिल कुमार स्योकन्द SDO, UHBVN पानीपत को राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह नियुक्त किया गया। जिस पर मन नि0 द्वारा राजपत्रित अधिकारी से फोन पर सम्पर्क करके रोहतक बाईपास पुल के निचे G.T. ROAD पानीपत आने बारे अग्रह किया जो दरखास्त उपरोक्त के मजबून से अपराध धारा 7 PC ACT 1988 का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा अरसाल थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक में बदस्त EHC प्रवीण कुमार न0 469/KNL के भिजवाई जा रही है पर्चा नम्बर से सुचित किया जावे। व स्पेशल रिपोर्ट उच्च अधिकारीयों व इलाका मैजिस्ट्रेट को भिजवाई जावे और मुकदमा में आगामी अनुसंधान हेतू दुसरा अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जावे। जो मन नि0 मय साथी कर्मचारी के दर ईन्तजार राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह होता हूँ लैपटाप, प्रिन्टर, अनुसंधान किट हमरा है। अज रोहतक बाईपास पुल के निचे G.T.ROAD. पानीपत. हस्ता अंग्रेजी TEJPAL

निरीक्षक (तेजपाल)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

करनाल मण्डल करनाल

दिनांक 03/06/2025

AT. 1:30 PM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 17 दिनांक 03.06.25 धारा 7 P.C Act थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके डयुटी मैजिस्ट्रैट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त EHC प्रवीण कुमार न0 469/KNL की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक जगपाल न0 288/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है। नोट थाना हजा में निरीक्षक तेजपाल की CCTNS ID नही होने पर अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक सचिव कुमार को दर्शाया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sachiv Kumar Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1720ggn to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

J Singh

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): JAGPAL SINGH

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं) 288/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with OKEN Scanner